हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

12 दिसम्बर, 2018

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1–59 / 2018.–हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 12) जो कि आज दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
(यशपाल),
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

———————

2018 का विधेयक संख्यांक 12

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 61) का संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार.––(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

2. धारा 37 का संशोधन.––स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में "धारा 19 या धारा 24 या धारा 27क के अधीन अपराधों के लिए और वाणिज्यिक मात्रा से सम्बन्धित अपराधों के लिए भी" शब्दों और अंकों के स्थान पर "इस आधिनियम के अधीन" शब्द रखे जाएंगे।

————————

उद्देष्यों और कारणों का कथन

मादक द्रव्यों के आदी होने से इसका उपभोग करने वाले व्यक्तियों को न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यधिक बेचैनी होती है, किन्तु इससे ऐसे व्यक्तियों के परिवारिक सदस्यों को भी बहुत

असुविधा होती है। हिमाचल प्रदेश राज्य एक लघु और भूबद्ध राज्य है, अतः यहां पर मादक द्रव्यों का अल्प मात्रा में मिलना भी समाज में अप्रत्यक्षतः दूरगामी प्रभाव डालता है।

वर्तमानतः, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 37 के अधीन यह उपबन्ध किया गया है कि धारा 19 या 24 या 27क के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए या वाणिज्यिक मात्रा से सम्बन्धित अपराधों के लिए भी दण्डनीय किसी अपराध के अभियुक्त, किसी भी व्यक्ति को, लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिए बिना, जमानत पर या मुचलके पर निर्मुक्त नहीं किया जाएगा। इसलिए, अधिनियम की अन्य धाराओं के अधीन अपराधों के लिए और वाणिज्यिक मात्रा से कम मात्रा से सम्बन्धित अपराधों के लिए, कभी–कभी लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिए बिना, अभियुक्त को जमानत दे दी जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय ने स्वप्रेरणा से 2017 की सीडब्यूपीआईएल संख्या 27 में भी तारीख 19–07–2018 को अपने निर्णयों में निदेश दिए हैं कि लोक अभियोजकों को उन व्यक्तियों के मामलों में जमानत का विरोध करना चाहिए जिनके पास मादक द्रव्यों की अल्प मात्रा भी पाई जाती है।

उपरोक्त के दृष्टिगत, अधिनियम के उपबन्धों को अधिक कठोर और भयोपराधी बनाने के आशय से अधिनियम के अधीन समस्त अपराधों और अल्प मात्रा सहित अपराधों के लिए जमानत प्राप्त करने हेतु भी वही प्रक्रिया विहित किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, राज्य को यथा लागू अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जय राम ठाकुर)
मुख्य मंत्री।

धर्मशाला :
तारीख : ....., 2018

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL No. 12 of 2018

THE NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2018

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Central Act No. 61 of 1985) in its application to the State of Himachal Pradesh.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-ninth year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and extent.—(1) This act may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2018.

(2) It shall extend to the whole of the State of Himachal Pradesh.

2. Amendment of section 37.—In section 37 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, in sub-section (1), in clause (b), for the words and figures "for offences under section 19 or section 24 or section 27A and also for offences involving commercial quantity", the words "under this Act" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Drug addiction not only causes a major discomfiture, both physically and mentally, upon the persons consuming it but also creates great inconvenience to the family members of such persons. The State of Himachal Pradesh being a small and land-locked State, even the introduction of small quantity of the drugs will have the far reaching repercussions on the society.

Presently, under section 37 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 it has been provided that no person accused of offence punishable under sections 19 or 24 or 27A or the offences involving commercial quantity shall be released on bail or on his bond without affording an opportunity of being heard to the public prosecutor. Thus, the persons accused for the offences under other sections of the Act and for offences involving quantity less than commercial quantity sometimes are granted bail without affording an opportunity of being heard, to the Public Prosecutor.

The Hon'ble High Court in its judgement dated 19-07-2018 in CWPIL No. 27 of 2017 on its own motion has directed that the Public Prosecutor should oppose bail in the case of those persons, who are apprehended with small quantity of drugs.

In view of the above, in order to make the provisions of the Act more stringent and deterrent, there is a need to prescribe same procedure for obtaining bail in all the offences under the Act and even for the offences including small quantity. This has necessitated an amendment in the Act in its application to the State.

This bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAI RAM THAKUR*)*
Chief Minister.

DHARMSHALA :

The....., 2018.